न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2023 राजस्व अपील

1. खिलारी पुत्र मूलचन्द
2. हरजी पुत्र मूलचन्द
3. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द
4. रामेश्वर पुत्र मूलचन्द

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.02.2023 तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम खिलारी वगैरा मुकदमा नम्बर 37/2023 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 22.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 10.02.2023 पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.02.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट्स को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा जुर्माने की सजा आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कानून नियम, उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स का किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलान्ट्स का पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। अपीलान्ट्स की ओर से इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है कि अपीलान्ट्स ने ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.50 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं अपीलान्ट्स का किसी भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है एवं अपीलान्ट्स भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स ने ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.50 है. पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट्स को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना व्यक्त किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांगदवाडी तहसील बहरावण्डा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1109/18 रकबा 0.50 है. पर से अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.02.2023 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.02.2023 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:24:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा